

23.7.24 पत्रावली पेश हुई वकील प्राची उपस्थित प्रकरण
में पूर्व में पथर गठी आदेश किये जा चुके हैं,
तहसीलदार बंगू से आदेश की याचना रियोट प्राप्त
होने पर शामिल पत्रावली कि जावे। पत्रावली में
अब कोई कार्य बाही शेष नहीं होने से पत्रावली कैलस
सुमार होकर नम्बर से कम हो।

५